न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 167/2022
आरसीएमएस नं. 2022/167

साहबराम उर्फ मनफूल पुत्र स्व0 श्री गणपतराम आयुय 76 वर्ष जाति जाट निवासी डबलीकलां (चक 5 एम.जेड.डब्ल्यू.) तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या 1

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र स्व0 श्री हीरालाल } जाति जाट निवासीगण डबलीकलां तहसील
2. निर्मला धर्मपत्नी श्री सुल्तान } टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट/प्रार्थीगण

3. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसीलदार टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—— तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश दिनांक 06.05.2022
द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी
अनवान कृष्णलाल बनाम साहबराम आदि प्र. सं. 38/2017

उपस्थितिः—

श्री मनोज बैनिवाल, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री इन्द्राज गोदारा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री अमित कुमार, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2
श्री रविन्द्र भोबिया अभिभाषक रेस्पो0 सं0 3

निर्णय दिनांक 18.8.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'ए' के तहत एक प्रार्थना—पत्र पेश किया। प्रार्थना—पत्र में चक 6 एम.जेड डब्ल्यू के खाता संख्या 36/31 जमाबंदी संवत 2071—2074 में अपने कब्जा काश्त में पत्थर नंबर 192/368 (4) के किला नं. 12 में 0.240 है0, 13 में 0.247 है0, 14, 15 व 18 की

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

0.126 है0 कुल 1.119 है0 भूमि होना प्रकट कर इस भूमि के लिए अपीलाण्अ की खातेदारी कृषि भूमि में 192/368 (4) किला नंबर 11 के दक्षिणी दिशा में 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। अपीलाण्ट/अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया कि प्रश्नगत भूमि संयुक्त परिवार की है। संयुक्त खाता की भूमि के लिए अपीलाण्ट ने अपनी कृषि भूमि पत्थर नंबर 192/368 के किला नं. 1 में उत्तरी सिरा पर रास्ता दे रखा है इसी रास्ते से प्रार्थी रेस्पोडेण्ट आवागमन करते आ रहे हैं। कालांतर में रेस्पा0 सं0 1 के परिवार ने खाता विभाजन करवा लिया और और स्व0 श्री सुरजाराम के वारिस उक्त भूमि का खाता विभजान करवाकर अपनी मनमर्जी मुताबिक अपीलाण्ट की भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र के आधार पर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पत्थर नंबर 192/368 (4) के किला नं. 11 में दक्षिण सिरे पर रास्ता चालू होने का मिथ्या कथन किये गये हैं जबकि अपीलाण्ट के उक्त किला नं. 11 में से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 अथवा अन्य सह खातेदारान ने आवागमन नहीं किया बल्कि इसके विपरीत अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट को किला नं. 1 में उत्तरी सिरे पर आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध करवाया हुआ था इस रास्ते को स्वीकार किये जाने में अपीलांट ने कभी भी अहसमति नहीं दी। रेस्पोडेण्ट ने किला नं. 12 व 13 में दक्षिणी सिरे पर रास्ता मौजूद होने के मिथ्या कथन किये हैं। इन किलो में ना तो रास्ता कभी स्वीकृत है ना ही कभी चला बल्कि किला नं. 12 में 0.013 है0 किला नं. 13 में 0.006 है0 भूमि भानीराम पुत्र सुरजाराम की खातेदारी भूमि है। कानूनन अपीलाण्ट ने संयुक्त खाता की भूमि के लिए एक बिन्दू पर आवागमन हेतु जब रास्ता उपलब करवा दियातो उसी रास्ता से इस संयुक्त खाता के सहखातेदार परस्पर रास्ता की सुविधा लेने के दायित्वाधीन थे। संयुक्त खाता के अन्य खातेदार विभाजन उपरांत अपनी अपनी भूमि के लिए पतरि लाईन 191 पर स्वीकृत रास्ता से अपीलाण्ट की भूमि में से अलग अलग स्थानों पर रास्ता मंजूर करवाने के अधिकारी नहीं थे ना ही कानून की ऐसी मंशा है। सभी सह खातेदारों को अपनी अपनी भूमि के लिए रास्ते अपीलांट की भूमि में से दिये जाते हैं तो अपीलांट की समस्त भूमि रास्ते में ही बर्बाद हो जायेगी और भूमि के टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे। तहसीलदार की रिपोर्ट में अपीलाण्ट ने जो रास्ता उपलब्ध करवाया गया है के महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया गया है। वैकल्पिक की उपलब्धा की स्थिति में नया रास्ता मंजूर करना विधि अनुकूल नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलांट के समस्त तथ्य मिथ्या एवं मनघड़ंत है। अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि के प0 नं0 192/368 के किला नं. 1 में रास्ता दिया गया है कतई गलत तथ्य हैं क्योंकि मातहत अदालत ने मौका की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रार्थी ने अपने खेत में आने जाने के लिए प0 नं0 192/368 मु0 नं0 4 के किला नं. 11 के दक्षिणी हिस्सा से पूर्व से पश्मिच होकर आगवामन कर रहे हैं। स्वीकृत किया गया रास्ता चालू है अपीलाण्ट इसे बंद करना चाहता है। अपीलाण्ट ने अपील मिथ्या आधारों पर पेश की है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायलाय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा चक नं. 6 एमजेडब्ल्यू के प. नं. 192/368 मु0 नं0 4 के किला नं. 11 के दक्षिणी हिस्सा में पश्चिम से पूर्व एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया है। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट की संयुक्त खाता की भूमि में आवागमन हेतु किला नं. 1 में उत्तरी सिरे पर रास्ता दिया हुआ है जो मौका पर विद्यमान है। वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता की स्थिति में नया रास्ता मंजूर करना विधि अनुकूल नहीं है। तहसीलदार की रिपोर्ट में यह महत्व पूर्व तथ्य अंकित नहीं किया गया है। धारा 251 'ए' के अन्तर्गत रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता, निकटतम रास्ता एवं वैकल्पिक रास्ते के तीनों बिन्दूओं को देखा जाता है। तहसीलदार से पत्थर नं. 192/368 (4) के किला नं. 1 में उत्तरी सिरे पर रास्ता के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जानी अपेक्षित है जो नहीं ली गई है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.05.2022 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पत्थर नं. 192/368 (4) के किला नं. 1 में उत्तरी सिरे पर रास्ता के संबंध में तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.8.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/8/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़